

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 225]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 30 मई 2016—ज्येष्ठ 9, शक 1938

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 30 मई 2016

क्र. एफ-2(अ) 39-2016-बी-4-दो.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश चिकित्सा विधिक तृतीय श्रेणी (अराजपत्रित) सेवा भरती नियम, 1988 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

नियम-11 में, उपनियम (2) में, शब्द “सेवा के लिये अभ्यर्थियों का चयन, चयन समिति द्वारा उनके साक्षात्कार के पश्चात् किया जायेगा.” के स्थान पर शब्द “सेवा के लिये अभ्यर्थियों का चयन, चयन समिति द्वारा विहित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा.”.

क्र. एफ-2(अ) 39-2016-बी-4-दो.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश चिकित्सा विधिक चतुर्थ श्रेणी सेवा भरती नियम, 1987 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में अनुसूची में,—

“(1) अनुक्रमांक-1 के सामने, कालम (6) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

“75 प्रतिशत पद ऐसी परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् सीधी भरती द्वारा भरे जाएंगे, जो विहित की जाए, और 25 प्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा”.

- (2) अनुक्रमांक-4 के सामने, कालम (6) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

“सीधी भरती द्वारा उपयुक्त पाये जाने पर”.

F. No. 2(A)39-2016-B-4-Two.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendment in the Madhya Pradesh Medico-legal Institute Class III (Non-Gazetted) Services Recruitment Rules, 1988, namely :—

AMENDMENT

In the said Rules,—

In rule-11, in sub-rule (2), for the words "The selection of the candidates for the service shall be made by the selection committee after interviewing them", the word "The selection of candidates for the service shall be made by the selection committee on the basis of prescribed examination."

F. No. 2(A)39-2016-B-4-Two.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendment in the Madhya Pradesh Medico-legal Institute Class IV Services Recruitment Rules, 1987, namely :—

AMENDMENT

In the said Rules, in the schedule,—

- "(1) against serial No. 1, in column (6) for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely :—

"75% posts to be filled by direct recruitment after having passed such test as may be prescribed and 25% posts by promotion."

- (2) against serial No. 4, in column (6) for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely :—

"100% by direct recruitment if found suitable."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजीजा सरशार जफर, उपसचिव.